विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ''**परिवहन विभाग के कार्य–कलाप**'' की एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 26 प्रस्तर सम्मिलित हैं, जिनमें कर, शुल्क एवं ब्याज, शास्ति इत्यादि के न/कम आरोपण से सम्बन्धित ₹ 2,895.55 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है। शासन/विभागों ने ₹ 1,547.50 करोड़ धनराशि की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की जिसमें से ₹ 82.05 लाख की वसूली कर ली गई है। कुछ मुख्य आपत्तियाँ नीचे वर्णित हैं:

I. सामान्य

वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 1,93,421.60 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2015–16 के लिये उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 2,27,075.94 करोड़ थीं। कर राजस्व ₹ 81,106.26 करोड़ एवं करेतर राजस्व ₹ 23,134.65 करोड़ को सम्मिलित करते हुये राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व ₹ 1,04,240.91 करोड़ था। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का केवल 46 प्रतिशत ही उगाह सकी। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 1,22,835.03 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश ₹ 90,973.69 करोड़ और सहायता अनुदान ₹ 31,861.34 करोड़) थी। वर्ष 2015–16 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 47,692.40 करोड़) एवं अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग (₹ 1,222.17 करोड़) क्रमशः कर एवं करेतर राजस्व के प्रमुख स्रोत थे।

(प्रस्तर 1.1)

31 मार्च 2016 को कुछ मुख्य राजस्व शीर्ष जैसे बिक्री, व्यापार आदि पर कर, स्टाम्प और निबंधन फीस, वाहनों पर कर, अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग, राज्य आबकारी और मनोरंजन कर से सम्बन्धित बकाया राजस्व ₹ 27,626.04 करोड़ हो गया जिसमें से ₹ 11,864.37 करोड़ पाँच वर्ष से अधिक से बकाया थे। कुल बकाये में से ₹ 5,508.12 करोड़ की वसूली भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूली के लिये प्रमाणित की गयी थी, ₹ 4,163.41 करोड़ माननीय न्यायालयों एवं अन्य अपीलीय प्राधिकारियों की कार्यवाही द्वारा रोके गये थे, ₹ 587.59 करोड़ की वसूली सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों के विरुद्ध लम्बित थी और ₹ 1,520.51 करोड़ की वसूली बट्टे खाते में डालने हेतु संभावित थी तथा ₹ 15,457.15 करोड़ के लिये वाणिज्य कर विभाग में विशिष्ट कार्यवाही प्रचलित है जबकि शेष ₹ 389.26 करोड़ के सम्बन्ध में की गयी विशिष्ट कार्यवाही के बारे में सम्बन्धित विभागों द्वारा सूचित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 1.2)

वर्ष 2015–16 के दौरान हमने बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प और निबंधन फीस, मनोरंजन कर और खनन प्राप्तियाँ से सम्बन्धित 580 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा कुल ₹ 3,240.99 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि के 2,673 मामले पाये। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 788 मामलों में ₹ 1,552.24 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें सन्निहित धनराशि ₹ 1,547.67 करोड़ के 462 मामले वर्ष 2015–16 में इंगित किये गये थे, शेष विगत वर्षों के थे। 277 मामलों में ₹ 1.73 करोड़ की धनराशि की वसूली की गयी जिनमें सन्निहित धनराशि ₹ 84.71 लाख के 50 प्रकरण वर्ष 2015–16 में इंगित किये गये थे, शेष विगत वर्षों के थे।

(प्रस्तर 1.10)

II. खनन प्राप्तियाँ

''भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में राजस्व के अनुकूलन के साथ सतत् खनन'' की लेखापरीक्षा नें निम्नलिखित बिन्दु उद्घाटित कियाः

- उपखनिजों का उत्खनन पर्यावरण मंजूरी (पम) के बिना किया गया था जैसा कि तथ्यों से स्पष्ट है कि पाँच पट्टाधारकों और 2,909 ईंट भट्टा मालिकों को बिना किसी पम के खनिजों के उत्खनन की अनुमति दी गयी थी, 30 पट्टाधारकों को पम में अनुमोदित मात्रा से अधिक खनिजों के उत्खनन की अनुमति दी गयी थी एवं 40 पट्टाधारकों द्वारा 191.77 एकड़ की पट्टा भूमि में वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया था। अग्रेतर, इन उल्लंघनों के लिए शासन ने खनिजों का मूल्य धनराशि ₹ 179.57 करोड़ वसूल नहीं किया।

(प्रस्तर 2.4.5 से 2.4.9)

- 58 पट्टाधारकों के मामलों में खनन योजना को दाखिल करने एवं अनुमोदन की आवश्यकता की उपेक्षा की गयी थी। इसके अतिरिक्त 15 पट्टाधारकों को खनन योजना का नवीनीकरण कराये बिना खनिजों का उत्खनन करने की अनुमति दी गयी थी तथा 12 पट्टाधारकों को खनन योजना में अनुमोदित मात्रा से बहुत अधिक खनिज के उत्खनन की अनुमति दी गयी थी। इस प्रकार, खनन नियामकों का खनन की पर्यावरणीय संवेदी गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं था एवं दुर्लभ संसाधनों को निर्विवाद रूप से दोहन की अनुमति दी गयी। शास्ति ₹ 282.22 करोड की वसूली के द्वारा भी इस उल्लंघन की भरपाई नहीं की गयी।

(प्रस्तर 2.4.11)

- विभाग ने अनिवार्य त्रैमासिक विवरण के प्रस्तुतीकरण, दरों के संशोधन से रायल्टी के अन्तर की वसूली, खनिजों के मूल्य का आकलन करना एवं रायल्टी/अपरिहार्य भाटक आदि के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनुश्रवण नहीं किया। सम्बन्धित जि0खा0का0 ने तथ्यों की विरुद्ध जाँच नहीं किया जिससे अनधिकृत उत्खनन एवं परिवहन हुआ। इस प्रकार, शासन राजस्व ₹ 477.93 करोड़ से वंचित रहा।

(प्रस्तर 2.4.12 से 2.4.17)

III. वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

''परिवहन विभाग के कार्य–कलाप'' की एक निष्पादन लेखापरीक्षा नें निम्नलिखित बिन्दु उद्घाटित कियाः

- नवम्बर 2009 एवं मार्च 2016 के मध्य 26,592 चार पहिया हल्के माल वाहनों और स्कूल मैक्सी कैब पर एकबारीय कर ₹ 26.79 करोड़ का कम आरोपण किया गया।

(प्रस्तर 3.3.9 एवं 3.3.10)

- नवम्बर 2009 एवं मार्च 2016 के मध्य नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित पायी गयी 721 जे0एन0एन0आर0यू0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर एवं शास्ति

₹ 25.77 करोड़ आरोपित नहीं किया गया और उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों पर अर्थदण्ड ₹ 174.42 करोड़ सम्मिलित करते हुये अतिरिक्त कर ₹ 360.33 करोड़ आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.3.14)

- फरवरी 2014 एवं मार्च 2016 के मध्य बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित 9,942 वाहनों पर अर्थदण्ड सम्मिलित करते हुये ₹ 4.56 करोड़ स्वस्थता शुल्क का आरोपण नहीं किया गया। ऐसे वाहनों के संचालन ने लोक सुरक्षा से भी समझौता किया।

(प्रस्तर 3.3.15)

- विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (उ0प्र0स0प0दु0रा0नि0) की स्थापना न किये जाने के कारण अप्रैल 2012 एवं मार्च 2016 के मध्य ₹ 109.06 करोड़, दुर्घटना पीड़ितों के लिये जमा नहीं हुआ।

(प्रस्तर 3.3.17)

- अक्टूबर 2012 एवं मार्च 2016 के मध्य ठेका एवं मंजिली वाहनों पर परमिट शर्तो के उल्लंघन पर प्रशमन शुल्क धनराशि ₹ 4.76 करोड़ की वसूली नहीं की गयी थी।

(प्रस्तर 3.3.18)

- जुलाई 2014 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा 839 विभिन्न श्रेणियों के वाहनों जिनको अधिक भार लदान के लिये बन्द किया गया था के प्रकरणों में कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 2.58 करोड़ की शास्ति आरोपित नहीं की गयी।

(प्रस्तर 3.3.19)

- परिवहन कार्यालयों के पास प्र0नि0प्र0 के साथ या बिना प्र0नि0प्र0 के संचालित वाहनों के आँकड़े/सूचना न होने के साथ ही साथ वाहनों के प्रदूषण की जाँच के लिये आधारभूत संरचना की कमी थी।

(प्रस्तर 3.3.22)

- 12,41,085 वाहन सन्निहित मूल्य धनराशि ₹ 43,564.38 करोड़ बैंकों में बंधक थे। विभाग द्वारा स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग से वास्तविक स्टाम्प शुल्क के निर्धारण हेतु बन्ध–पत्रों का निरीक्षण नहीं कराया गया। इस प्रकार शासन ₹ 162.70 करोड़ की राजस्व प्राप्ति से वंचित रहा।

(प्रस्तर 3.3.26)

- क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं किया गया था। स्वीकृत पदों के सापेक्ष अनुषंगिक कार्मिकों की अत्यधिक कमी के फलस्वरूप कार्य की अधिकता थी और राजस्व के संग्रहण/वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(प्रस्तर 3.3.29 एवं 3.3.31)

नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र से बाहर संचालित पायी गयी 84 जे0एन0एन0आर0यू0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर ₹ 9.92 करोड़ आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 3.6)

बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्रों के संचालित 6,304 वाहनों पर शास्ति के साथ ₹ 2.88 करोड़ का स्वस्थता शुल्क आरोपित नहीं किया गया था। ऐसे वाहनों का संचालन जन सुरक्षा से भी समझौता था।

(प्रस्तर 3.7.1)

विभाग नें विभिन्न श्रेणियों के अधिक भार लदान के जब्त वाहनों के 591 मामलों पर कैरिज बाई रोड अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति धनराशि ₹ 1.42 करोड़ आरोपित नहीं किया।

(प्रस्तर 3.9)

IV. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

''उत्तर प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग में राजस्व के बकाये के संग्रहण की प्रणाली '' की लेखापरीक्षा नें निम्नलिखित बिन्दु उद्घाटित किया:

- बकाये की धनराशि 1 अप्रैल 2011 के ₹ 16,665.41 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2016 को ₹ 27,188.58 करोड़ हो गयी, इस प्रकार 63.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी।

(प्रस्तर 4.4.5.1)

- माँग पत्र के तामील न कराये जाने अथवा असामान्य विलम्ब से तामील कराये जाने के कारण 979 मामलों जिनमें ₹ 217.51 करोड़ का बकाया सन्निहित था की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ।

(प्रस्तर 4.4.7.1)

- अन्य राज्यों को प्रेषित किये गये 604 रा0व0प्र0प0 का अनुसरण करने में विफल रहने के कारण ₹ 233.60 करोड़ का देय बिना वसूली के रहा।

(प्रस्तर 4.4.9)

- दावों को विलम्ब से दाखिल किये जाने एवं शासकीय समापक (शा0स0) के साथ अनुसरण न किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 61.43 करोड़ की देयता बिना वसूली के रह गयी।

(प्रस्तर 4.4.12)

50 वा0क0का0 से सम्बन्धित 69 व्यापारियों के मामलों में 2008–09 से 2012–13 की अवधि में कर की गलत दर को लागू करने के कारण अर्थदण्ड के साथ ₹ 5.66 करोड़ का कर कम/नहीं आरोपित हुआ था।

(प्रस्तर 4.6)

50 वा0क0का0 से सम्बन्धित 74 व्यापारियों के मामलों में 2007–08 (वैट) से 2013–14 की अवधि मे टर्नओवर के छिपाये जाने, कर के विलम्ब से जमा किये

जाने एवं गलत खरीद पर ₹ 6.23 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 4.7)

14 वा0क0का0 से सम्बन्धित 23 व्यापारियों के मामलों में 2009–10 से 2012–13 की अवधि मे सही दर से प्रवेश कर आरोपित नहीं किये जाने एवं क्रय पर प्रवेश कर में अनियमित छूट के परिणामस्वरूप ₹ 1.68 करोड़ के प्रवेश कर का कम/ अनारोपण हुआ।

(प्रस्तर 4.8)

आठ वा0क0का0 से सम्बन्धित आठ व्यापारियों के मामलों में 2006–07 से 2012–13 की अवधि में स्वीकार किये गये कर को विलम्ब से जमा किये जाने पर ₹ 2.17 करोड़ का ब्याज प्रभारित नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 4.10)

35 वा0क0का0 से सम्बन्धित 45 व्यापारियों के मामलों में 2009–10 से 2012–13 की अवधि में आई0टी0सी0 दावों में ₹ 3.29 करोड़ की अनियमिततायें जैसे अनियमित/ अननुमन्य आई0टी0सी0 के दावे, अधिक दावे, आई0टी0सी0 का उत्क्रमित न किया जाना, अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना एवं उस पर ब्याज प्रभारित न किया जाना आदि थीं।

(प्रस्तर 4.11)

V. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस

''स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में ई–स्टाम्पिंग एवं प्रेरणा सॉफ्टवेयर'' की लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बिन्दु उद्घाटित किया:

सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर की अपेक्षित विशिष्टियों (सा0अ0वि0) का अभाव, सॉफ्टवेयर विकास एजेन्सी द्वारा विलम्ब से निष्पादन, उ0नि0का0 के मध्य पार्श्व संयोजन तथा ऑनलाइन भेंट नियत करने एवं दस्तावेज को प्रस्तुत करने के प्रावधानों जैसी कमियाँ थीं।

(प्रस्तर 5.4.5)

उ0नि0का0 द्वारा सॉफ्टवेयर में खोज उपयोगिता का प्रयोग नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप आवासीय भूमि का कृषि दर पर मूल्यांकन किये जाने के कारण ₹ 3.16 करोड़ का तथा भूमि के अवमूल्यन के कारण ₹ 1.72 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 5.4.8)

विभाग के पास अच्छी परिभाषित तथा प्रमाणिक पासवर्ड नीति, पहुँच नियंत्रण प्रणाली एवं प्रेरणा के सही तरह से प्रयोग एवं प्रवर्तन के लिये आन्तरिक नियंत्रण तंत्र का अभाव था।

(प्रस्तर 5.4.9)

विभाग सी0आर0के0ए0 की जाँच, ई–स्टाम्प प्रमाणपत्रों का समय सीमा से लॉक किया जाना तथा ई–स्टाम्प के माध्यम से उ0नि0का0 वार एकत्र किये गये राजस्व का विवरण जैसे उ0प्र0 ई–स्टाम्पिंग नियमों के अनुपालन में विफल रहा।

(प्रस्तर 5.4.11)

3.55 लाख वर्ग मीटर आवासीय भूमि को गलत ढंग से कृषि दर पर ₹ 40.64 करोड़ में निबन्धित किया गया था। आवासीय दर पर सही मूल्यांकन ₹ 149.15 करोड़ आगणित होता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.50 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम अरोपण हुआ।

(प्रस्तर 5.6)

आवासीय घोषित 55,679 वर्ग मीटर भूमि को आवासीय दर पर ₹ 19.56 करोड़ के स्थान पर कृषि दर पर ₹ 4.84 करोड़ में निबन्धित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 90.79 लाख के स्टाम्प शुल्क और निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 5.7)

VI. अन्य कर प्राप्तियाँ

राज्य आबकारी

अनुज्ञापियों द्वारा प्रतिभूति जमा की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं जमा की गयी। इस विफलता के लिए दो जि0आ0का0 में 1,007 मामलों में व्यवस्थापन का निरस्तीकरण एवं जमा बेसिक अनुज्ञापन शुल्क और प्रतिभूति धनराशि ₹ 37.43 करोड़ के समपहरण की कार्यवाही जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित था नहीं प्रारम्भ की गयी थी।

(प्रस्तर 6.10)

तेईस जि0आ0का0 द्वारा 364 अनुज्ञापियों पर एफ0एल0–7ख अनुज्ञापन शुल्क आरोपित नहीं किया गया जिससे वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान शासन ₹ 6.70 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

(प्रस्तर 6.11)